राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः   दिनांकः

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषयः– स्वाईन फ्लू (एच1एन1) के सर्वेक्षण बाबत।

उपरोक्त विषय मे लेख हैं कि जिले मे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे जो सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा हैं उसकों व्यवस्थित किये जाने हेतु निम्न दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे करने वाली टीमों को निर्देश दिये जाये कि जितने घर/गांव प्रतिदिन उन्हें सर्वेक्षण के लिए आवंटित किये जाते हैं उनको दिशानिर्देशानुसार पूर्ण करें तथा प्रत्येक घर मे अगर आई.एल.आई. जैसे बीमार पायें जाते हैं तो उनको दिशा निर्देशानुसार केटेगरी ए/बी/सी मे विभाजित करें, 'सी' केटेगरी के मरीजों को तुरन्त रैफर कर भर्ती करवावें एवं केटेगरी 'बी' के मरीजों को दिशा निर्देशानुसार टेमीफ्लू तुरन्त टीम द्वारा दी जायें।
2. जिन संभावित मरीजों का निदान हेतु सैम्पल जांच के लिए भेजा जायें, उनके क्षेत्रों की (ग्रामीण/शहरी) जानकारी उसी दिन प्राप्त कर उन क्षेत्रों मे तुरन्त सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिशानिर्देशानुसार टेमीफ्लू दवाई वितरण का कार्य प्रारम्भ किया जायें।
3. सर्वेक्षण मे कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाकर ही सर्वेक्षण कार्य के लिए भेजा जाए एवं राज्य स्तर से दिये गये प्रपत्र मे रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः 567   दिनांकः 29.12.09

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच/एड्स
3. समस्त संयुक्त निदेशक–जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान
4. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त पत्र को समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ई–मेल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.) 29/12/09
चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर